राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 549 से 556/2014..... ..... जिला : जयपुर

उनवान मैसर्स टैक्नोक सेन्टर इण्डिया प्रा.लि.झोटवाडा,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.04.2014	खण्डपीठ श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य श्री सुनील शर्मा,सदस्य अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त आठों अपीलें मय स्थगन प्रार्थन पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के संयुक्तादेश दिनांक 02.04.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक दिनांक 13.02.2014 को पारित निर्धारण आदेश के जरिये निम्न तालिका के अनुसार कायम की गई मांग राशियों में से आवेदित स्थगन हेतु राशियों में स्थगित नहीं की गई मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है:–	

अ.सं.	वर्ष	स्थगन हेतु आवेदित राशि	स्थगित राशि	शेष वसूली योग्य राशि
549/14	2007–08 RVAT	38,99,919	34,78,306	5,27,106
550/14	2008–09 RVAT	35,88,038	31,87,139	5,01,123
551/14	2008–09 CST	1,60,105	1,42,216	22,361
552/14	2009–10 RVAT	34,15,401	30,20,557	4,93,555
553/14	2009–10 CST	24,109	21322	3484
554/14	2010–11 RVAT	36,03,813	31,72,219	5,39,493
555/14	2010–11 CST	1,12,725	99,225	16,875
556/14	2010–11 RVAT	33,13,889	29,02,226	5,14,579

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदित स्थगन हेतु मांग राशि में से शेष वसूली योग्य राशि क्रमशः रू. 5,27,106/–,रू.5,01,123/–,रू.22361/–,रू.4,93,555/–,रू. 3484/–, रू.5,39,493/–,रू.16,875/– एवं रू. 514579/– की वसूली स्थगित नहीं किये जाने बाबत किन्हीं युक्तियुक्त कारणों का उल्लेख नहीं

किया गया है, जो अविधिक है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की बेवसाईट एवं उसके द्वारा भुगतान किये गये आउट साईड जोब चार्जेज को आधार बनाकर माना कि अपीलार्थी व्यवहारी ने पूर्ण यूनिट को निर्मित कर केता की साईट पर स्थापित किया है और यह वर्क्स कान्ट्रेक्ट की श्रेणी में आता है एवं 14 प्रतिशत से कर योग्य है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि आउट साईट जोब चार्जेज अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उन व्यक्तियों/फर्मो को दिये गये है जिनसे कि उन्होंने रफिंग/मशीनिंग/मेटल कटिंग/प्लेटिंग इत्यादि करवाई है एवं यह राशि अपीलार्थी द्वारा निष्पादित किसी संविदा कार्य से सम्बन्धित नही है। अतः उन्होनें शेष वसूली योग्य राशि कमशः रू. 5,27,106/–,रू. 5,01,123/–,रू.22361/–,रू.4,93,555/–,रू.3484/–, रू.5,39,493/–,रू. 16,875/– एवं रू. 514579/–की वसूली पर रोक लगाने का निवेदन किया।

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के तहत वसूल योग्य बकाया मांग राशि की वसूली पर रोक नहीं लगाने का निवेदन किया ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

पक्षकारों की बहस सुनने एवं रेकार्ड का अवलोकन व सम्बन्धित विधिक प्रावधानों का अध्ययन करने के पश्चात यह पीठ इस नतीजे पर पहुँची है कि प्रकरण में विधिक बिन्दु अन्तर्निहित होने से प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के **गुणावगुण को प्रभावित किये बिना** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत शेष वसूली योग्य राशि कमशः रू. 5,27,106/–,रू. 5,01,123/–,रू.22361/–,रू.4,93,555/–,रू.3484/–, रू.5,39,493/–,रू. 16,875/– एवं रू. 514579/–की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य

11/4/14